# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–2679 / 2003**

मनोहर लाल

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 19.12.2003
**आदेश की दिनांक** : 18.01.2023

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 01.03.2001 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2001 पारित किया गया है, जिसमें मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 09 / 2001 दिनांक 12.02.2001 के निर्देशानुसार यह आदेश पारित किया गया है कि राज्य कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरण को नियम रूप से निस्तारण के पूर्व एक उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त आदेश दिनांक 07.03.2001 के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 01.03.2001 पारित करने से पूर्व मंत्रीमण्डल ने दिनांक 12.02.2001 को यह निर्णय ले लिया था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरण को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाए। ऐसे में आक्षेपित आदेश दिनांक

01.03.2001 पारित किये जाने से पूर्व मंत्रीमण्डल द्वारा निर्णय ले लिया गया था, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी के प्रकरण को उच्च स्तरीय समिति से स्वीकृत कराना जरूरी था। ऐसे में आदेश नियम विरूद्ध पारित किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। आलौच्य आदेश दिनांक 01.03.2001 को पारित किया गया था। उस दिनांक को प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश दिनांक 07.03.2001 प्रभाव में नहीं आया था। यह सत्य है कि मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 09/2001 दिनांक 12.02.2001 के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरण को समिति के समक्ष रखे जाने का आदेश पारित किया गया था। परंतु मंत्रीमण्डल की आज्ञा के आधार पर प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश दिनांक 07.03.2001 को पारित हुआ था और तभी उच्च स्तरीय समिति का भी गठन हुआ था। यह भी प्रकट नहीं हुआ है कि मंत्री मण्डल की आज्ञा को जिला कलक्टर, डूंगरपुर के ध्यान में लाया गया है, जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। स्पष्ट रूप से आलौच्य आदेश जारी किये तक न तो उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था और न ही प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश दिनांक 03.07.2001 अस्तित्व में था। ऐसे में आक्षेपित आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति निराधार है। उपरोक्त आधार के अलावा अन्य आधार अपीलार्थी की ओर से नहीं उठाया गया है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. अतः अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**